Chhattisgarh Rajya Gramin Bank Employees Association

Chhattisgarh Rajya Gramin Bank Officer's Organisation

Affiliated with AIRRBEA

B-122 Capital City Phase 2, Saddu Raipur -492014
Central Office AIRRBEA: Golders Green, Ground Floor, F-G Block, 1 Nazrul Islam Avenue (VIP Road), Kaikhali, Kolkata 700 052
Email- crgboogs@gmail.com, union.crgbea@gmail.com
Mobile- 98515 54101 / 95461 41090

General secretary - Ramesh Singh | General secretary - Rahul Kumar

पत्र क्रमांक/JF-2/2024-25 दिनांक - 09.10.2024

प्रति,
श्रीमान अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
प्रधान कार्यालय – नवा रायपुर, छ.ग.

<u>9वें संयुक्त नोट /12वे वेतनमान समझौता के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के संदर्भ मे</u>

संदर्भ – 9वें संयुक्त नोट, दिनांक – 08.03.2024,
भारत सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक/8/2/2024-RRB, दिनांक – 08.07.2024
बैंक द्वारा परिपत्र क्रमांक/CRGB/2024-25/135/STAFF/40, दिनांक – 25.09.2024

महोदय,
विष्यान्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की तरफ से प्रबंधन को धन्यवाद ज्ञपित करते हैं कि बैंक के परिपत्र जारी होने के पूर्व प्रबंधन द्वारा सेवायुक्तों को वेतन एवं भत्तों का एरियर्स यथासमय भुगतान किया गया एवं एचआरएमएस के माध्यम से नवीन वेतनमान लागू किया गया है |

भारत सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित पत्र मे दर्ज निर्देश – (i) **revised salary, allowances and arrears thereof to serving officers and employees of RRBs at par with PSBs w. e. f. 01.11.2022** के अनुसार बैंक द्वारा जारी परिपत्र मे निम्नलिखित बिन्दुओं मे संशोधन एवं संबद्ध करने की आवश्यकता है –

1. Deputation allowance ((बिन्दु क्रमांक – VII): - बैंक द्वारा 9वें संयुक्त नोट मे दर्ज निर्देश अनुरूप भत्ता लागू किया गया है परंतु 9वें संयुक्त नोट मे निम्नलिखित निर्देश को परिपत्र मे सम्मलित नहीं किया गया है –
   Upon deputation of an Officer to another office/branch within the same municipal limits/ urban agglomeration, in Metro/ Major 'A' Class cities where the distance of such deputation is 20km and more from the parent branch/office, halting allowance as provided under (xiii) below shall be payable.

2. Officiating Pay (बिन्दु क्रमांक – VIII): - बैंक द्वारा 9वें संयुक्त नोट मे दर्ज निर्देश अनुरूप भत्ता लागू किया गया है परंतु बैंक द्वारा निम्नलिखित निर्देश दर्ज किया गया है –
   Note: Standard operating procedure will be communicated separately.
   IBA द्वारा उपरोक्त भत्ते के भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया पूर्व से निर्धारित किया गया है एवं मानक संचालन प्रक्रिया का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा भी किया गया है | IBA द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया को दिन एवं दरों मे 9वें संयुक्त नोट के आधार पर संशोधन कर यथावत लागू करने का कष्ट करें |

3. Mid Academic Year Transfer Allowance (बिन्दु क्रमांक – VIII): - बैंक द्वारा 9वें संयुक्त नोट मे दर्ज दरों के आधार पर लागू तो किया गया है परंतु **Subject to other conditions** को परिपत्र मे समाहित नहीं किया गया है |

4. Halting Allowance (बिन्दु क्रमांक – XI): - बैंक द्वारा विराम भत्ता 9वें संयुक्त नोट मे दर्ज दरों के आधार पर लागू तो किया गया है परंतु बैंक द्वारा उक्त भत्ते की दरों को संभावित प्रभाव (**PROSPECTIVE EFFECT**) से लागू किया गया है |कृपया

भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश एवं 9वें संयुक्त नोट मे दर्ज निर्देश अनुरूप उक्त भत्ते को बिना संभावित प्रभाव के दिनांक 01.04.2024 से लागू करें एवं परिपत्र मे भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश अनुरूप संशोधन एवं दिनांक 01.04.2024 से सेवायुक्तों को एरियर्स का भुगतान करने का कष्ट करें | कृपया अवगत हो कि अन्य ग्रामीण बैंक मे इस भत्ते को बिना संभावित प्रभाव के लागू किया गया है |

5. Defined Contributory Pension scheme)DCPS/NPS): - बैंक द्वारा 9वें संयुक्त नोट मे दर्ज निम्नलिखित निर्देश को परिपत्र मे सम्मलित नहीं किया गया है –

   (3-ii-a) In partial modification of clause 11 of Joint Note dated 11th November, 2020, while the employees covered and governed under this scheme, shall continue to pay/contribute to the Fund at 10% of the "Pay" plus Dearness Allowance thereon, the Banks, shall make a contribution of 14% of the "Pay" and Dearness Allowance thereon.
   (3-ii-b) The issue of exempting the additional 4% management contribution from income tax already recommended by IBA to the government.
   (3-ii-c) It is clarified that for superannuation benefits "Pay" shall be as per the provisions contained in clause 1 (ii) (i) of this settlement.

6. Special Pay: इसमें बैंक द्वारा सबसे महत्वपूर्ण पद **"Special Customer Service Associate"** को परिपत्र में नहीं जोड़ा गया हैं और इस पद में उल्लेखित कार्यों के अनुसार देय स्पेशल पे राशि का कहीं जिक्र नहीं किया गया जबकि पूरे बैंक स्तर पर अधिकांश शाखाओं में आज भी कार्यालय सहायकों के द्वारा ही VVR चैकिंग का कार्य संपादित किया जा रहा हैं, विशेष कर टू मेन ब्रांचेश में वीवीआर चैकिंग का कार्य कार्यालय सहायकों के द्वारा ही किया जाता हैं |

7. Transport Allowance: 01/11/2022 से ट्रांसपोर्ट एलाउंस की राशि का एरियर्स भुगतान इसी माह में करवाने का कष्ट करें तथा साथ ही 12वे द्विपक्षीय समझौते में उल्लेखित नोट- **"This provision by itself will not preclude the payment of any existing allowance of this nature paid as a result of Government guidelines/bank level settlement"** से उठ रहें Conveyance Allowance भुगतान संबंधित भ्रम की स्थिति को परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट करने का कष्ट करें।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश एवं 9वें संयुक्त नोट मे दर्ज निर्देश अनुरूप परिपत्र मे आवश्यक संशोधन कर लागू करने का कष्ट करें |

भवदीय

महासचिव
छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन

महासचिव
छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन